न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 1792/2018

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

1. नोरती पुत्री श्री भैरू जाति माली निवासी प्रान्हेडा उप तहसील कादेडा तह. केकडीजिला अजमेर

—वादीया

♠ बनाम ♠

1. किरण कंवर पत्नि भगवानसिह जाति राजपूत निवासी भराई उप तहसील कादेडा जिला अजमेर
2. बेबीकंवर पत्नि महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी भराई उप तहसील कादेडा जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

———प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,88,90(2) राज. काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 11.05.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प प्रान्हेडा में पेश हुई। वादीगण उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। वादपत्र का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीया ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188,88,90(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादीया के वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069—72 के खाता नम्बर 1068 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1927/1, 1928 रकबा क्रमशः 0.04, 0.14 है. में वादिया का 2/3 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। वाद वर्णित आराजीयात की वादिनी व प्रतिवादीनी न. 1 व 2 सहखातेदार है। प्रत्येक अपने अपने हिस्से के खातेदार कृषक है व उपरोक्तानुसार वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने अपने हिस्से पर काबिज दाखिल है व काश्त करते चले आ रहे है व राजस्व लगान अदा करते आ रहे है। वादिया व प्रतिवादीगण 1 व 2 के मध्य कुछ समय से आपसी विवाद एवं मनमुटाव की वजह से आराजीयात को सम्मिलित खातेदारी में रखना एवं आपस में काश्त करने से झगडा होता है। वादिया ने दिनांक 22.07.2017 को अलग — अलग खाते करने हेतु प्रतिवादीगण 1 व 2 से निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण 1 व 2 झगडा करने पर उतारू हो गये जिसके कारण वादिया द्वारा उक्त आराजीयात का बटवारा किये जाने एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किये बाबत यह वादपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादीया का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री विशनसिंह राजावत एडवोकेट ने पावर पेश किया। पत्रावली जवाब हेतु नियत की गई। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया एवं जवाब पेरोकार सरकार पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त जवाब सरकार अनुसार ग्राम प्रान्हेडा के जमाबन्दी संवत 2069—72 के खाता संख्या 1068 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1927/1, 1928 रकबा क्रमशः 0.04, 0.14 है. में वादिया का 2/3 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी अनुसार नोरती पुत्री भैरू हि.2/3 कौम माली सा.देह खातेदार ,एवं किरण कंवर पत्नि भगवानसिह हि.1/6, बेबीकंवर पत्नि महेन्द्रसिंह 1/6 हि. सा.देह भराई खातेदार खसरा नम्बर 6126/1927 रकबा 0.04,6128 /1928 रकबा 0.14 किता 2 कुल रकबा 0.18 दर्ज है। वादिया द्वारा सहखातेदारी मेसे विभाजन कराना चाहा है।

अतः वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069—72 के खाता संख्या 1068 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1927/1, 1928 रकबा क्रमशः 0.04, 0.14 है. में का दावा स्वीकार कर वास्ते बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसील केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में आगामी पेशी तक पेश करें। पत्रावली बटवारा प्रस्ताव हेतु दिनांक 10.7.2018 को न्यायालय हाजा में पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

केकड़ी